<u>महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम- 695 001</u> <u>OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-11)</u> <u>KERALA, THIRUVANANTHAPURAM- 695 001</u>

सं.मले. (लेप.II)/एपीसीसी/2-12/आईआर और पैरा/2025-26 No. AG (Au II)/APCC/2-12/IR & Para/2025-26 दिनांक/Date : 12.06.2025

<u> परिपत्र / CIRCULAR No. 18</u>

विषय: लंबित आईआर/पैरा का शीघ्र निपटान ।

Sub: Expeditious settlement of outstanding IRs/Paras.

अप्रैल 2025 के महीने के लिए बकाया निरीक्षण रिपोर्टों / पैराओं के शीघ्र निपटान पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करते समय महालेखाकार ने सभी स्कंधों को लंबित निरीक्षण रिपोर्टों और पैराओं के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने का निदेश दिया है। तीन साल से अधिक अवधि के लिए बकाया सभी निरीक्षण रिपोर्टों और लेखापरीक्षा आपत्तियों का विश्लेषण और समीक्षा की जानी चाहिए। निपटान दर में सुधार के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाए। एएमजी III को बकाया निरीक्षण रिपोर्टों / पैराओं के शीघ्र निपटान पर विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है।

While reviewing the progress report on the expeditious settlement of outstanding Inspection Reports / paragraphs for the month of April 2025, the Accountant General has directed all the wings to make more efforts to ensure clearance of pending IRS and paras. All inspection reports and audit objections outstanding for more than three years should be analysed and reviewed. Audit Committee Meetings may be conducted to improve the settlement rate. AMG III is directed to pay special attention on expeditious settlement of outstanding IR/paras.

{वरिष्ठ उप मले. (प्रशासन एवं एएमजी-1) के दिनांक 10-06-2025 आदेशानुसार} {vide orders dated 10-06-2025 of Sr. DAG (Admn.&AMG-I)}

37A.4

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/ एपीसी कक्ष Sr. Audit Officer/ APC Cell

सेवा में / To,

1. व.लेप.अ./एएमजी-I / Sr.AO/ AMG-I

2. व.लेप.अ./एएमजी-II / Sr.AO/ AMG-II

3. व.लेप.अ./एएमजी-III / Sr.AO/ AMG-III